



न्यायालय - राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश विद्यालय

प्रकरण क्रमांक - /2018 निगरानी

निगरानी-32/14/2018/विदिशा/अरु. श्रीमती सुनीत्रा पत्नी स्व. स्वल्पकृष्ण

शर्मा

1. अनुराग

2. अविनाश

3. अशोक

4. अचल

समस्त पुत्रगण स्व.श्री स्वल्प कृष्णशर्मा

जाति ब्राह्मण, समस्त निवासीगण

न.21. भागतीसह परिसर विजयनगर इंदौर

म.प्र. --- प्राधान्य

बनाम

1. श्रीमती राममूर्ति पत्नी स्व.श्री वरेन्द्र

कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी

मकान न.8 अमृत इनक्लेव अर्धोद्या

बायपास भीपाल म.प्र.

वस

2. श्रीमती कृष्णा शर्मा पति स्व.बलदेव

1-18

राज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जला

महावीर घाट छुरह तहसील छुरह

जिला सागर म.प्र.

3. श्रीमती सतीषा कुमारी पति श्री महेशा हे :-

राज भानोट, जाति ब्राह्मण निवासी अजाकार

मकान न.295 तिलकनगर अमृतसर जिला हताक

अमृतसर 1 पंजाब 1

तिरणा पंजी

4. श्रीमती तृप्ता शर्मा पति श्री वीरेंद्र ओदवा

कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी स.की धारा

द्वारकापुरी सेक्टर 22 प्लॉट न.217

ल परतुत की


जानकी आपटमेंट नई दिल्ली

5. स्वल्पकृष्ण शर्मा पुत्र स्व.श्री अमीरचंद

श्री 20 के मागवाले  
द्वारा आज दि. 25-5-18  
प्रस्तुत। प्रारंभिक नुं. हेतु  
दिनांक 6-6-18 निवृत्त।

वकील ऑफ कोर्ट 25518  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वाल्दियर

AS  
25-5-18  
A-6 A-20  
A-2



3

शामो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम  
ककरावली, तहसील कुरवाई जिला विदिशा  
मध्य प्रदेश

6. श्याम सुन्दर शामो पुत्र स्व.श्रीअमीर  
शामो जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री  
वाडे छुरइ, तहसील छुरइ जिला सागर  
मध्य प्रदेश

7. श्रीमती निर्मला शामो पति श्री श्यामसुन्दर  
शामो मृतक वारिदान

अ- सदीप शामो

ब- गगन शामो

स- गोलू शामो

द- कुमारी स्वाति शामो

इ- कुमारी गुडिया शामो

पुत्र व पुत्रीगण स्व.श्री श्यामसुन्दर शामो  
निवासीगण शास्त्री वाडे छुरइ तहसील  
छुरइ जिला सागर म.प्र.

--- रिस्पोडेन्स

निगरानी आधीन चाररा 50 मू.राज संहिता विषय  
आदेशा दिनांक 23.4.18 प्रकारा क्रमांक 03अ-6/15-18  
ककरावली न्यायालय तहसीलदार तहसील पठारी जिला  
विदिशा म.प्र.


श्रीमान जी,

1- प्राधीन की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-  
यह कि, अनादीक क्रमांक 1 द्वारा अनुविधायी अधिकारी  
कुरवाई के न्यायालय में मध्य प्रदेश मू.रा.संहिताकी  
चाररा 44 ए के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी  
10दिनांक 9.12.99 नायक तहसीलदार कुरवाई आदेशा  
दिनांक 6.1.99 परिवेदित कर म.प्र.मू.रा.स.की चाररा  
44 ए के तहत दिनांक 15.3.2010 को अपील प्रस्तुत की

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3214/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार न करते हुए कार्यवाही की जा रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सही नहीं है। अतः तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्षों की विधिवत सुनवाई कर बोलता हुआ आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	